राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 24/08/2023 को संपन्न 483वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

——00———

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स मैंसामुड़ा सेण्ड क्वॉरी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मैंसामुड़ा), ग्राम–मैंसामुड़ा, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2524)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432905/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मैंसामुड़ा, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 670, कुल

क्षेत्रफल–4.50 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–89,300 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बिरेन्द्र कुमार किरन, सचिव उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा का दिनांक 31/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1095/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 05/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1101B खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 05/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1101 B खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 05/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1090/खनि–/2023 कोरबा, दिनांक 31/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र (LOI) जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./3203 कोरबा, दिनांक 04/05/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 630 मीटर की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुरारीयापारा 465 मीटर, स्कूल ग्राम–भैंसामुड़ा 2 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल एवं एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 685 मीटर, न्यूनतम 350 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 227 मीटर, न्यूनतम 216 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 204 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट से दूरी अधिकतम 371 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 89,300 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.80 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 02/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 685 मीटर, न्यूनतम 350 मीटर है, जबकि खदान की नदी के तट से दूरी अधिकसम 371 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 350 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.465 हेक्टेयर (44,650 वर्गमीटर) क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

35.05	2%	0.70	Following activities at nearby Village-Bhainsamuda	
			Plantation at Village pond	0.8124
			Total	**0.8124**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, इमली, जामुन, कटहल, पीपल, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 130 नग पौधों के लिए राशि 7,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 58,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,300 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 11,640 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 18/1, क्षेत्रफल 56.416 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17 वृक्षारोपण कार्य – पहुंच मार्ग पर (अर्जुन, जामुन, आम, कटहल पीपल, बरगद, आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,48,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,04,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाया जाना आवश्यक है, ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20 रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–भैंसामुड़ा) का रकबा 4.50 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स भैंसामुड़ा सेण्ड क्वॉरी (सरपंच/सरपंच, ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा) को खसरा क्रमांक 670, ग्राम–भैंसामुड़ा, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.50 हेक्टेयर में से क्वारी प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 350 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.465 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट–01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

5. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई (यूनिट–2), तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2183)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 405454/2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 434231/ 2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित, खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155 (शामिल) 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2ख, 203/2ग, 203/2क, 204/2, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 184, 185, 186, 213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 एवं 217/2, कुल क्षेत्रफल–19.53 एकड में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 14 करोड़ है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2533 दिनांक 10/03/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विशाल कुमार जैन, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   - पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 308, दिनांक 28/05/2016 द्वारा मेसर्स इन्सपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक

158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155, 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2ख, 203/2ग, 203/2, 204 में से, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 184, 185, 186, 213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 एवं 217/2, कुल क्षेत्रफल–19.53 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.999 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

- तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 863, दिनांक 22/01/2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर मेसर्स इन्सपायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के स्थान पर मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने बाबत् दिनांक 11/11/2022 को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में 28/03/2023 को आवेदन किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1534, दिनांक 07/06/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तो का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/02/2020 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/09/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी अकलतरा 13 कि.मी., चांपा 20 कि.मी., अस्पताल बलौदा–2.6 कि.मी. दूर है। चकरभाटा एयरपोर्ट बिलासपुर 43.4 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन अकलतरा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 17 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

5. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत भेलाई का दिनांक 28/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. **भूमि स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Description	Area (Acres)	Percentage (%)
1.	Washery Plant	1.85	9.47
2.	Raw Coal, Stock Yard, Clean Coal & Rejects	3.40	17.41
3.	Other Facilities (Internal Roads, WTP, Staff Quarters etc.)	5.06	25.91
4.	Plantation	6.95	35.59
5.	Vacant land	2.27	11.62
Total		**19.53**	**100**

8. **रॉ–मटेरियल** –

For Coal Washery				
Raw Material	**Existing**	**After Expansion**	**Source**	**Mode of Transport**
Raw Coal	0.96 MTPA	2.48 MTPA	SECL Korba	By Road through covered trucks
Operating time	1 Shift	3 Shift		

Material Balance

Product & By Product	Existing Quantity (MTPA)	After Expansion Quantity (MTPA)	Mode of Transport
Washed Coal	0.768	1.984	70% By Railway and 30% By Road through covered trucks
Reject Coal	0.192	0.496	By Road through covered trucks

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर स्थापित है। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा गया है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कव्हर्ड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना के नियमित संचालन हेतु फ्रेश वॉटर कुल 410 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु

344 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 56.75 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 9.25 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 245 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 08/11/2025 तक अनुमति प्राप्त की गई है, शेष 165 घनमीटर जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित होना बताया गया है। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया गया है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 27,255 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 तालाब 22,500 घनमीटर (लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, गहराई 10 मीटर) क्षमता का निर्मित है। स्थापित एवं प्रस्तावित प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट 10 मीटर ऊंचाई की चिमनी के साथ स्थापित किया गया है।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका के विकास हेतु उद्योग परिसर के भीतर कुल क्षेत्रफल के 6.95 एकड़ (35.59 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग परिसर के क्षेत्रफल में वृद्धि किये बिना क्षमता विस्तार की जा रही है, जिसके कारण उद्योग परिसर में अतिरिक्त क्षेत्रफल न होने के कारण उनके द्वारा अधिग्रहित अतिरिक्त (खसरा क्रमांक 169/5, 170/5 एवं 170/6) भूमि 2.58 एकड़ (13.21 प्रतिशत) क्षेत्र में हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार ग्रीन बेल्ट के क्षेत्रफल कुल 9.53 एकड़ (48.8 प्रतिशत) में वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,810 नग

पौधों के लिए राशि 1,97,760 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,53,500, खाद के लिए राशि 19,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 96,000 रूपये तथा अन्य के लिए राशि 20,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष हेतु कुल राशि 6,07,660 रूपये एवं आगामी चार वर्षों रख–रखाव हेतु कुल राशि 10,31,264 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी –** मॉनिटरिंग का कार्य अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16.64	32.12	60
PM_{10}	46.23	69.56	100
SO_2	5.24	15.89	80
NO_2	8.2	20.55	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.3	62.2	75
Night L_{eq}	34.7	50.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों/मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 5,517 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 5,712 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 11,229 पी.सी.यू. प्रतिदिन होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

vi. **क्यूमिलिटीव इम्पेक्ट असेसमेंट –**

Environmental Aspect	Impact of 0.96 MTPA	Impact of 2.48 MTPA
Stack emissions	Incremental GLC Controlled 4.5 ug/m^3 Uncontrolled 25.4 ug/m^3	Incremental GLC Controlled 7.70 ug/m^3 Uncontrolled 30.3 ug/m^3
Fugitive emissions	Incremental GLC	Incremental GLC

	Controlled 0.8 ug/m³ Uncontrolled 3.2 ug/m³	Controlled 1.59 ug/m³ Uncontrolled 7.84 ug/m³
Ground water use	250 KLD	410 KLD
Waste water generation and disposal	No change	No change
Noise	Incremental Noise level at plant boundary will increase from 58.5 dBA to 58.6 dBA during day time and 41.7 dBA to 50.0 dBA during night time (due to project)	There will be no change in incremental noise level at plant boundary. Only the duration of increase will change from 8 hours to 20 hours
Traffic	Existing traffic is 306 trucks	799 trucks added

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 24/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे स्थान – शासकीय प्राथमिक शाला झर्राडिह, ग्राम पंचायत–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 07/06/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं भू–जल स्तर नीचे गिर रहा है।

ii. पहले से स्थापित कोल वॉशरी के क्षमता विस्तार से आम जनता एवं पर्यावरण को नुकसान होगा तथा यहां पर किसी को रोजगार नहीं मिलता है।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू–जल स्तर एवं आदि के संरक्षण के लिए इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट (ई.आई.ए.) तैयार की गई है, जिसमे विस्तृत रूप से दिया गया है, जो परमिसेबल लिमिट के भीतर है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के प्रति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत, तहसीलदार, एस.डी.एम. तथा कार्यालय कलेक्टर में अवलोकन हेतु रखा गया है।

ii. यह वॉशरी 2018 से संचालित है एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया है। नियमित स्वास्थ्य परिक्षण की व्यवस्था रखी गई है समय–समय पर जागरूकता अभियान चला कर लोगों को जागरूक करना, सुरक्षा के प्रति, समाज के प्रति तथा स्वयं के प्रति। क्षमता विस्तार से रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी तथा उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में वृद्धि होगी।

iii. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at, Govt. Naveen Bheemrao Amebedkar College **Village- Bhelai**	
			Plantation work	3.73
			Total	**3.73**

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कॉलेज के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. सी.ई.आर. की राशि के तहत् कॉलेज परिसर के भीतर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, अमलताश, जामुन, आंवला आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 360 नग पौधों के लिए राशि 27,360 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 84,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,700 रूपये, सिंचाई (वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम) के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 78,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,52,060 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 1,48,024 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. समिति द्वारा निहित किए गए शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. अतिरिक्त भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण की कटाई भविष्य में नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को ग्राम–भेलाई, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155 (शामिल) 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2ख, 203/2ग, 203/2क, 204/2, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 189, 184, 185, 186, 213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 एवं 217/2, कुल क्षेत्रफल–19.53 एकड़ में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
2. अतिरिक्त भूमि (खसरा क्रमांक 169/5, 170/5 एवं 170/6) भूमि 2.58 एकड में किये जाने वाले वृक्षारोपण की कटाई भविष्य में नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाइट माईन (प्रो.– श्री विमल लुनिया), ग्राम–गड्डीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोंड़ागांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2525)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433333/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गड्डीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोंड़ागांव स्थित खसरा क्रमांक 2/53, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all

such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में ग्रेनाईट खदान खसरा क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल–3.50 एकड़, क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोण्डागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.316
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567
01/04/2020 से 31/03/2021	541.909
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टिकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध मे ग्राम पंचायत गट्टीपलना का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. उत्खनन योजना – स्किम ऑफ माईनिंग अलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1590/एमसीसी/एमपी–04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/1988 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोण्डागांव सामान्य वन मण्डल जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./359 कोण्डागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकतटम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटत्तम आबादी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–फरसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरकी नाला 2.23 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,50,925 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 61,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,764
द्वितीय	1,764
तृतीय	1,764
चतुर्थ	1,764
पंचम	1,764

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शेष आवश्यक जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,404 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,63,400 रूपये, खाद के लिए राशि 6,460 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,40,264 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 8,88,352 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, Village- Gattlpalna	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	12.70

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेसिंग के लिए राशि 143,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गट्टीपलना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र से निकतटम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् थाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स पिताम्बरा लॉजिस्टिक एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (कलवर ऑयरन ओर ब्लॉक), ग्राम–कलवर, तहसील–दुर्गूकोंदल, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2526)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 434123/2023, दिनांक 21/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलवर, तहसील–दुर्गूकोंदल, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 29, 30, 31, 32, 39/1, 39/3, 40/1 एवं 40/2, कुल क्षेत्रफल–23.72 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,000.88 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 75 लाख होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री करण खंडेलवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत झिटकाटोला द्वारा दिनांक 30/12/2022 को विभिन्न शर्तों के तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विभिन्न शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक संख्या आरपीआर/कांकेर/आयरन ओर/1361/एमपी/2022–23, दिनांक 02/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 839/खनिज/ख.प./2022–23 कांकेर, दिनांक 15/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 938.058 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 839/खनिज/ख.प./2022–23 कांकेर, दिनांक 15/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में बरसाती नाला, तालाब एव कलवर बस्ती दृष्टिगोचर है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स पिताम्बरा लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है, जो खनिज साधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 3–8/2022/XII, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 29, 30, 31, 39/3 एवं 40/2 श्री जी.आर. राना, खसरा क्रमांक 32 श्री बालाराम, श्री प्रवीन एवं श्रीमती दुलारी, खसरा क्रमांक 39/1 श्री शांतूराम, शांति बाई, जानकी बाई, जानो बाई एवं खसरा क्रमांक 40/1 श्री कमलेश, श्रीमती भाग्यवती, सुश्री साक्षी एवं श्री राम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि खसरा क्रमांक 40/1 एवं 40/2 के भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.थि./2023/1815 भानुप्रतापपुर, दिनाक 16/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार "प्रस्तावित क्षेत्र ओ.ए.कलवर 'ए.बी' एवं संरक्षित वन से लगा हुआ है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में 2,911 नग वृक्ष मौके पर खड़े हैं" का उल्लेख है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य

प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षों की प्रजातिवार जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. समिति द्वारा पाया गया कि माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 30/06/2021 के अनुसार "Non-cultivable land which are bigger than 10 ha in area and containing more than 200 trees per ha is to be treated as forests." का उल्लेख है। समिति का मत है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अतंर्गत आता है अथवा नहीं के संबंध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग से जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलवर बस्ती 100 मीटर, स्कूल ग्राम–कलवर बस्ती 100 मीटर एवं अस्पताल दल्ली राजहरा 19 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। तालाब 150 मीटर, ग्रामीण सड़क 300 मीटर एवं सिंदारी नदी 5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईन प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,32,163 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,10,611 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.3925 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। ऊपरी मिट्टी कुल मात्रा 45,679.10 घनमीटर एवं ओव्हर बर्डन कुल मात्रा 3,54,294.80 घनमीटर जनित होगी। ऊपरी मिट्टी मात्रा 14,355 घनमीटर को 1 मीटर की ऊंचाई तक 7.5 मीटर की चौडी सीमा पट्टी में रखा जाकर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष ऊपरी मिट्टी ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर 0.6 हेक्टेयर क्षेत्र में रखा जाना प्रस्तावित है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	36,751.05
द्वितीय	63,255.5
तृतीय	70,000.32
चतुर्थ	70,000.21
पंचम	70,000.88

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित क्षेत्र में खनन प्रक्रिया, जल छिड़काव व्यवस्था, आंतरिक मार्गों में वाहनों के आवागमन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल की आवश्यकता, वृक्षारोपण हेतु जल की आवश्यकता, घरेलु

उपयोग एवं अन्य प्रक्रिया में जल की आवश्यकता होने के कारणों से प्रस्तावित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन अत्यन्त कम प्रतिपादित हो रहा है। अतः उपरोक्त सभी कार्यों को शामिल करते हुये जल आपूर्ति संबंधी स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 4,785 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल विनियोग का ब्रेकअप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 839/खनिज/ख.प./2022–23 कांकेर, दिनांक 15/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 938.058 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कलवर) का क्षेत्रफल 23.72 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कलवर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 961.778 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 30/06/2021 के अनुसार "Non-cultivable land which are bigger than 10 ha in area and containing more than 200 trees per ha is to be treated as forests." का उल्लेख है। उक्त आदेश के अनुक्रम में आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा नहीं के संबंध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the breackup details of project cost.

   iv. Project proponent shall submit an affidavit regarding, all the compliance conditions mentioned in Gram Panchayat NOC should be followed.

   v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area. also submit the

NOC from office of the DFO. It is also necessary to submit information about the species of the trees & their numbers.

vi. If the applied area falls under forest area, then Forest Clearance Stage-I & Stage-II should be submitted.

vii. Project proponent shall submit clarification of water requirement mentioning the mining activity such as dust supressioin in internal road, plantation purpose, domestic use and other activities.

viii. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station, depicted on Topo Sheet of Survey of India.

x Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xiv. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xvi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals preferably for creation of ECO park with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही राजस्व विभाग एवं वन विभाग को पत्र लेख किया जाए।

5. **मेसर्स श्री रामदूत इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–कोनारी, बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2527)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434319/2023, दिनांक 22/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–कोनारी, बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 7, कुल क्षेत्रफल–3.844 हेक्टेयर में रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढाकर 59,800 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. पाईप्स एण्ड ट्युब्स क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना की विनियोग 14.05 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (स्ट्रिप्स, बार आदि) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष एवं पाईप्स एण्ड ट्युब्स क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 26/10/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिनांक से 12 माह की अवधि तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 06/02/2021 के द्वारा मेसर्स श्री रामदूत इस्पात प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया है। डीड अनुसार ग्राम–कोनारी, बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 7, प.ह.न. 11, कुल क्षेत्रफल–3.844 हेक्टेयर भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 06/02/2021 से दिनांक 05/02/2120 तक है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - आबादी तिल्दा 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुण्ठ 3.4 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 33.67

कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.76 कि.मी. दूर है। खारून नदी 18.64 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in sqm)	Area (%)
1.	Built Up Area	10,744	27.95
2.	Road & Paved Area	3,000	07.81
3.	Green Belt Area	15,376	40.00
4.	Open Area	9,320	24.24
Total		38,440	100

5. रॉ–मटेरियल:–

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
1.	Billets/ Ingots	61,000	Open Market	By Road

6. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:–

S. No.	Particular	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Unit	Rolling Mill	
2.	Re-Rolled Products (Strips, Bars etc)	30,000 TPA	59,800 TPA
3.	MS Pipes, Tubes	1,50,000 TPA	1,50,000 TPA
4.	Working Hours (In Rolling Mill unit)	8	20

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – क्षमता विस्तार उपरांत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं चिमनी की ऊँचाई 35 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोल गैसीफायर स्थापित नहीं है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु कोल गैसीफायर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित कोल गैसीफायर की क्षमता के संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था – रोलिंग मिल से मिल स्केल–500 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया

जाएगा। साथ ही ऐश 2,400 टन प्रतिवर्ष जनित होता है, जिसे ईट निर्माण इकाईयों को विक्रय किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण तथा डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 25 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 30/09/2021 से 29/09/2024 तक अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 4 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 0.3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 0.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1.537 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) में वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के तहत् लोक सुनवाई से छुट दिये बाबत् अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 के पैरा (i)(b) के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान है:–

(a) Which were notified by the Central Government or the State/UT Governments, prior to the said Notification coming into the force on 14th September, 2006.

(b) Which obtain prior environmental clearance as mandated under the EIA Notification, 2006 [item 7(c) of the schedule to the said Notification]

उपरोक्त के संदर्भ में समिति का मत है कि बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु जारी आदेश की प्रति मंगाया जाना आवश्यक है। समिति का यह भी मत है कि यदि बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र दिनांक 14/07/2006 के पश्चात् घोषित हुआ हो, तो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र हेतु जारी टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति भी मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित कोल गैसीफायर की क्षमता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु जारी आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र दिनांक 14/07/2006 के पश्चात् घोषित हुआ हो, तो भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् बरतोरी औद्योगिक क्षेत्र हेतु जारी टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2529)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434388/ 2023, दिनांक 22/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बिल्हा व मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–7.22 एकड (2.92 हेक्टेयर) में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार स्टैंड एलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2 गुणा 500 टन) टन प्रतिदिन में परिवर्तन किये बिना "**80 प्रतिशत से अधिक रॉ–मटेरियल एवं 100 प्रतिशत उत्पाद का परिवहन रेलमार्ग**" के स्थान पर "**रॉ–मटेरियल एवं उत्पाद का परिवहन सड़क एवं रेलमार्ग से किये जाने**" हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने बाबत् टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 10 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेश कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 323, दिनांक 29/05/2021 द्वारा मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बिल्हा मोहभट्टा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर, स्थित खसरा क्रमांक 302/1/के, 302/1/जी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–7.22 एकड में सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5X200) टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

   - तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 337, दिनांक 07/06/2022 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (5X200) टन प्रतिदिन के स्थान पर सीमेट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता–1,000 (2X500) टन प्रतिदिन हेतु संशोधन जारी किया गया।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **भू–स्वामित्व** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भूमि श्री आदित्य अग्रवाल के नाम पर है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–बिल्हा 900 मीटर एवं शहर बिलासपुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिल्ला 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिलासपुर एयरपोर्ट 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.13 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Type of Use	Area (Acres)	Percentage
1.	Plant Area	1.90	26.32
2.	Parking Area	0.91	12.60
3.	Green belt area	2.98	41.27
4.	Open area	0.96	13.30
5.	Road area	0.47	6.51
	Total Land Acquired	**7.22**	**100**

6. रॉ–मटेरियल–

S. No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
		OPC	
1.	Clinker	950	Road/Rail
2.	Gypsum	50	Road/Rail
		PPC	
1.	Clinker	600	Road/Rail
2.	Gypsum	50	Road/Rail
3.	Flyash	350	Road/Rail
		PSC	
1.	Clinker	500	Road/Rail
2.	Gypsum	50	Road/Rail
3.	Slag	450	Road/Rail
		PCC	
1.	Clinker	450	Road/Rail
2.	Gypsum	50	Road/Rail
3.	Slag	250	Road/Rail
4.	Flyash	250	Road/Rail

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पर्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। साथ ही डस्ट सप्रेशन/फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। रॉ–मटेरियल्स स्टोरेज एरिया कव्हर्ड (ऊपर एवं साईड में) प्रस्तावित है। फ्लोर को पेव्ड किया जाएगा तथा स्टोरेज एरिया में कन्व्हेयर बेल्ट तथा ट्रकों के एंट्री की सुविधा रहेगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – ग्राईंडिंग यूनिट से ठोस अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में एकत्रित डस्ट को पुनःउपयोग कर लिया जायेगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था–**

- **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – परियोजना हेतु कुल 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल खपत होगा। आवश्यक

जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाता है। भू–जल उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अर्थारिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु 8 घनमीटर प्रतिवर्ष क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2,500 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विद्युत स्त्रोत संबंधी जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2.98 एकड़ (41.27 प्रतिशत) में 3,025 नग वृक्षारोपण ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया था। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC." का उल्लेख है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता 3 वर्ष हेतु होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. भू–जल उपयोग हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अर्थारिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स पित्तेफूलचूर सेण्ड क्वारी, (सरपंच, ग्राम पंचायत गुदुम) ग्राम–पित्तेफूलचूर, तहसील–दुर्गकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2529)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432932/2023, दिनांक 22/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पित्तेफूलचूर, ग्राम पंचायत–गुदुम, तहसील–दुर्गकोंदल, जिला–उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कोन्दा कोडका खण्डी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री छेरकू राम तुलावी, सरपंच उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गुदुम का दिनांक 04/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ इन्व्हायरोन्मेंट मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1182/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2023–24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 07/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1186/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 08/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1187/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 08/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सरपंच, ग्राम पंचायत गुदुम के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1010/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 19/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है, जिसकी पूर्ति निर्धारित समयावधि में करने पर आपको उत्खननपट्टा स्वीकृति किया जावेगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2023/1784 भानुप्रतापपुर, दिनांक 16/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि. मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पित्तेफूलचूर 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–गुदुम 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल गुदुम 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 77 कि.मी. राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। पुल 640 मीटर दूर है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 123 मीटर, न्यूनतम 81 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 757 मीटर, न्यूनतम 650 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 93 मीटर, न्यूनतम 51 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट से निकटतम दूरी 15 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 75,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.33 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 22/05/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10	2%	0.20	Following activities at nearby Village- Pittephulchur	
			Plantation at Village pond	0.474
			Total	0.474

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (जामुन, आम, इमली, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुदुम के सहमति उपरांत ग्राम पित्तेफूलचूर के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के खसरा एवं क्षेत्रफल संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. वृक्षारोपण कार्य – खदान क्षेत्र के पास ग्राम पंचायत गुदुम के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान खसरा क्रमांक 10, क्षेत्रफल 6.13 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर में (अर्जुन, जामुन, आम, इमली, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,76,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,74,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 96,800 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

19. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कोन्दा कोडका खण्डी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पित्तेफूलचूर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकडे, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकडें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के खसरा एवं क्षेत्रफल संबंधी जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पित्तेफूलचूर सेण्ड क्वारी, (सरपंच, ग्राम पंचायत गुदुम), खसरा क्रमांक 1, ग्राम–पित्तेफूलचूर, तहसील–दुर्गकोंदल, जिला–उ.ब.कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट–03 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे

(Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स मोहम्मद इस्तियाक शाह थ्रिक अर्थ क्वॉरी (प्रो.– श्री मो. इस्तियाक शाह), ग्राम–सांईटांगरटोली, तहसील व जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2530)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432922/ 2023, दिनांक 22/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सांईटांगरटोली, तहसील व जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 82, 84/2, 85/1, 85/2, 90, 92 एवं 93(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.44 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मो. इस्तियाक शाह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुरोध किया गया कि समिति के समक्ष अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज होने के कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स जय अम्बे इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–सरोरा, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2532)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 434349/2023, दिनांक 22/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–सरोरा, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला–रायपुर, खसरा क्रमांक 116, 117/3 एवं 118/4, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 4.98 करोड़ रूपये है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3260(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन रेगुलाईजेशन के स्थान पर क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी ऑफिस मेमोरेण्डम्स के तहत् टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने के कारण से आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री सांई मिनरल – ईस्ट साईड (टेम्परी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) ग्राम–सिलिपछना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2534)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 434327/ 2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–52,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खारढोढ़ी का दिनांक 25/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1724/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 16/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 219/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 22/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 215/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 21/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे, रोड़, पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. मेसर्स श्री सांई मिनरल, पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 46/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2023/1281 जशपुर, दिनांक 31/03/2023 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी. एवं अस्पताल सुरेशपुर 5 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। कुरमेठ नाला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,56,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,04,208 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,01,082 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,820 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)
प्रथम	52,000
द्वितीय	52,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 470 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 28,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 3,20,600 रूपये तथा कुल राशि 7,32,240 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at, Village- Silipakhna	
			Pavitra Van Nirman	9.73
			Total	**9.73**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख--रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खारढोढ़ी के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम सिलीपखना के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 43/1/क क्षेत्रफल 20.7 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक को उक्त क्षेत्र के लिए नवीन आशय पत्र जारी हुआ है लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जायेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी बिक्री नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों को आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

28. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

29. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 219/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 22/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों को आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री साईं मिनरल – ईस्ट साईड (टेम्प्ररी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक–2/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता – 1,04,000 टन से अधिक न हो, हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स श्री साईं मिनरल – वेस्ट साईड (टेम्परारी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2535)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 434348/ 2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खारढोढ़ी का दिनांक 25/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1728/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 15/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 221/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक

22/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 217/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 21/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. मेसर्स श्री सांई मिनरल, पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 45/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2023/1283 जशपुर, दिनांक 31/03/2023 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संस्थानओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी. एवं अस्पताल सुरेशपुर 5 कि.मी दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। कुरमेठ नाला 2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,56,000 टन, माईनेबल रिजर्व 90,480 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 95,337 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)
प्रथम	39,000
द्वितीय	39,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 470 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 28,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 3,20,600 रूपये तथा कुल राशि 7,32,240 रूपये आगामी 4 वर्षो हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at, Village- Silipakhna	
			Pavitra Van Nirman	9.73
			Total	9.73

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खारढोढ़ी के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम सिलीपखना के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 43/1/क क्षेत्रफल 20.7 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व 90,480 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 95,337 टन का उल्लेख है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनेबल रिजर्व में माईनिंग लॉस की गणना करने के पश्चात् भी रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा माईनेबल रिजर्व से अधिक है, जो कि व्यवहारिक/ तकनीकी रूप से संभव नहीं है। समिति का मत है कि रिजर्व की

पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की संख्या, प्रजाति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक को उक्त क्षेत्र के लिए नवीन आशय पत्र जारी हुआ है लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जायेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी बिक्री नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

30. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

31. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13 / 09 / 2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 221 / ख.शा. / 2023 जशपुर, दिनांक 22 / 06 / 2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व 90,480 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 95,337 टन का उल्लेख है। माईनेबल रिजर्व में माईनिंग लॉस की गणना करने के पश्चात् भी रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा माईनेबल रिजर्व से अधिक है, जो कि व्यवहारिक / तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अतः रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों को आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में

आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री साई मिनरल – वेस्ट साईड (टेम्पररी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक–2/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता – 78,000 टन से अधिक न हो, हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री माँ महासर लाईम स्टोन (अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन माईन, प्रो.– श्रीमती कृष्णा अग्रवाल), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2536)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 434164/2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, कुल क्षेत्रफल–3.19 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,50,088 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत धनसुली का दिनांक 11/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 4018/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 13/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 451/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 17/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.344 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना

प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर क्षेत्र में कुल 89 खदानों का रकबा 183.534 हेक्टेयर है। विभाग द्वारा क्लस्टर सर्टिफिकेट जारी करने एवं आपके समक्ष आवेदन के पश्चात् टी.ओ.आर. प्राप्त करने एवं ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करते तक 8–9 माह व्यतित हो जा रहें है और इस बीच में आवेदित क्लस्टर क्षेत्र में या तो कुछ नवीन खदानों के लिए आशय पत्र जारी हो जाता है या फिर कुछ खदानों का पट्टा अवधि समाप्त हो जाता है या शासन/ प्रशासन द्वारा खदान निरस्त कर दी जाती है। इस कारण से ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करते समय क्लस्टर क्षेत्र का रकबा परिवर्तित हो चुका होता है। अतः उपरोक्त कारणों से ड्राफ्ट ई.आई.ए. जमा करने से पूर्व खनिज विभाग से अद्यतन क्लस्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर अद्यतन क्लस्टर का रकबा को ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट उल्लेखित करते हुये क्लस्टर के किसी भी एक खदान के लिए तत्समय जारी अद्यतन सर्टिफिकेट संलग्न करते हुये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा कराये जाने हेतु निर्देशित अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तों में सम्मिलित करने का अनुरोध है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 451/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 17/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स श्री माँ महासर लाईम स्टोन के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1791/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 09/11/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री जितेन्द्र अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा./3169 रायपुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र मोहरेंगा नेचर सफारी 18 कि.मी., वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा 66 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी 282 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 1.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–बहनाकाड़ी 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल जुगेसार 2.55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.1 कि.मी. दूर है। खारून नदी 19.75 कि.मी., कुरूद रिजर्व वायर 1.9 कि.मी., नाला 1.85 कि. मी., तालाब 900 मीटर एवं नहर 430 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 23,12,750 टन, माईनेबल रिजर्व 12,91,362 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 12,26,794 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.265 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर एव मात्रा 5,129 घनमीटर है तथा ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.8 मीटर है तथा कुल मात्रा 20,516 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 890 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,50,029
द्वितीय	1,50,053
तृतीय	1,50,088
चर्तुथ	1,50,053
पंचम	1,50,017

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,041 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 110 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं रेस्ट सेल्टर बनाने के लिए गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स महामाया मिनरल्स (एसआईए /सीजी /एमआईएन / 69981/2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 451/ख.लि./2023 रायपुर, दिनांक 17/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 88 खदानें, क्षेत्रफल 180.344 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) का रकबा 3.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 183.534 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

x. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलद्रियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स मैंसामुड़ा सेण्ड क्वॉरी (सरपंच/सरपंच, ग्राम पंचायत मैंसामुड़ा) को खसरा क्रमांक 670, कुल क्षेत्रफल–4.50 हेक्टेयर में से क्यारी प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 350 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.465 हेक्टेयर क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–मैंसामुड़ा, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) में इसदेव नदी से रेत उत्खनन क्षमता 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.465 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 40,185 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोडा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोडा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाए जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की

जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधो में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
35.05	2%	0.70	Following activities at nearby Village-Bhainsamuda	
			Plantation at Village pond	0.8124
			Total	**0.8124**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत

किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 130 नग पौधों को रोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु (आम, इमली, जामुन, कटहल, पीपल, बरगद आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 58,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,300 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 11,640 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत

सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को

पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS M/S MAHAVIR COAL WASHERIES PRIVATE LIMITED KHASRA NUMBER 158/1, 158/2, 158/4, 159, 197, 199, 201, 155 (Shamil) 156, 154/2, 154/1, 191, 192/1, 192/2, 192/3, 193, 203/2kh, 203/2G, 203/2k, 204/2, 204/1, 205, 210/2, 210/1, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 187/1, 187/2, 188/1, 186/2, 189, 184,185, 186, 213, 214, 215, 216, 209/1, 209/2, 208, 207 and 217/2, AREA – 19.53 ACRE, VILLAGE - BHELAI, TEHSIL - BALODA, DISTRICT – JANJGIR CHAMPA (C.G.) FOR EXPANSION OF COAL WASHERY 0.96 MILLION TONNE PER YEAR TO 2.48 MILLION TONNE PER YEAR

This environmental clearance is being given subject to the following conditions. These conditions should be read very carefully and it should be ensured to follow them strictly.

I. Statutorycompliance

i. The project proponent shall adopt the code of practice for coal washeries issued by Central Pollution Control Board.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. As per the proposal submitted by the project proponent, rain water collected in proposed reservoirs within and outside the plant premises shall be utilized for industrial activities as maximum as possible. As per Central Ground Water Authority notification, the proposed site falls under safe zone, therefore, no ground water shall be withdrawn/used for industrial activities without prior permission from the Central Ground Water Authority. Project proponent shall obtain permission from the Central Ground Water Authority for drawl of ground water.

iv. Solid waste / hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016, Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016 (as amended).

v. The project proponent shall obtain Hazardous waste authorization if any shall be generated under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

vi. Coal stacking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.

vii. Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

II. Air quality monitoring and preservation

i. Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates (PM_{10} & $PM_{2.5}$), SO_2 and NO_x. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features, and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the CECB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.

ii. Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statue be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2 and NO_x. Location of

the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or consultation with the Chhattisgarh Environment Conservation Board. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.

iii. Project proponent shall ensure transportation of raw coal, washed coal and rejects through railway as maximum as possible. Also ensure minimum (70)% of total washed coal shall be transported through railway and rejects generated shall be transported through road. Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks. The transportation of clean coal shall be carried out by rail with wagon loading through silo as far as possible. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading / unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board/ Chhattisgarh Environment Conservation Board. The particulate emission from any point source shall not exceed 30 mg / Nm^3 under any circumstances.

iv. All possible particulate matter and fugitive dust emission source points like unloading areas, loading area, coal crusher unit, rotary breaker unit, screen house unit, conveyor belt, transfer points, junction points, coal (raw, washed and reject) storange yard etc. shall be kept away from the railway line.

v. All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are properly covered.

vi. Covered trucks shall be engaged for transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.

vii. Project proponent shall construct boundary wall of height not less than 03 meters all along the periphery of plant premises. Wind breaking screen of height not less than 03 meters along with rain guns all along the periphery of plant premises (three sides) and boundary wall of height not less than 04 meters over the boundary wall towards railway line side, wind breaking screen of height not less than 03 meters over the boundary wall towards railway line side shall be constructed to prevent the fugitive dust emission in the nearby areas .

viii. Facilities for parking of trucks carrying raw material shall be created within the unit.

ix. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

x. Hoppers of the coal crushing unit, screening unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters with dust extraction system. Mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer / junction points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.

xi. The Raw coal / washed coal / rejects / coal sludge shall be stored above ground level in pucca platform within stockyards fitted with wind breakers / shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.

xii. The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.

III. Noise and Vibration monitoring and prevention

i. The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the factory premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

ii. Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in operations shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

IV. Water quality monitoring

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Effluent generated during the process after expansion, project proponent shall install effluent treatment plant accordingly. The effluent discharge shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974. Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-IA.11 (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.

iii. Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.

iv. The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.

v. Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analyzed once in a year and records maintained thereof.

vi. The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

vii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

viii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

ix. An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEF&CC and implemented.

x. Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.

xi. Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.

xii. No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA). The fresh water requirement of washery should not exceed 410 KLD.

xiii. Project proponent shall be provided wheel washing arrangement inside the premises.

xiv. Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the project area. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.

xv. Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.

xvi. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / Water Resource Department, Chhattisgarh.

V. Green Belt

i. Plantation shall be develop minimum 6.95 Acre (35.59% of total land area) within the plant premises and 2.58 Acre (13.21% extra land area) outside

of the plant premises should be covered under green belt area. Project proponent shall ensure that plantation to be develop outside the plant premises shall not be cut under any circumstances. If project proponent fails to comply this condition, this environmental clearance maybe treated as cancelled.

ii. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 20 m width shall be developed all along the premises to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads and all along the boundary. Project proponent shall ensure development of minimum 40 m wide green belt towards the railway line. Project proponent shall ensure that plantation shall be complete in upcoming monsoon season.

iii. The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.

VI. Public hearing and Human health issues

i. The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project. Besides regular periodic health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.

ii. Personnel (including outsoured employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iii. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

VII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted –

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
300	1%	3.0	Following activities at, Govt. Naveen Bheemrao Ambedkar College	

			Village- Bhelai	
			Plantation work	3.73
			Total	**3.73**

ii. CER activities mentioned in the previous Environment Clearance, project proponent shall ensure to complete that CER activities with in a time frame.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

VIII. Additional Conditions

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The Project proponent shall submit progress report of work of Corporate Environmental Responsibility (CER) for every 6 months in SEIAA/SEAC, C.G. alongwith photographs.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or

critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Conservation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

viii. Project proponent shall ensure fulfillment of the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 and prepare Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden prior to start of any construction work (if required). Project proponent shall obtain NOC from Director, Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve, Koni, Bilaspur prior to start of any construction work.

ix. Project proponent shall ensure no any hindrance to any villagers / farmers to access their field due to establishment / operation of coal washery

x. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

xi. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

xii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

xiii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xiv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xv. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xvi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xvii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xviii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xix. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xx. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xxi. The Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxiii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स पितोफूलचूर सेण्ड क्वारी, (सरपंच, ग्राम पंचायत गुदुम), को खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–पितोफूलचूर, तहसील–दुर्गकोंदल, जिला–उ.ब.कांकेर (छ.ग.) में कोन्दा कोडका खण्डी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पडे।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनो को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10	2%	0.20	Following activities at nearby Village- Pittephutchur	
			Plantation at Village pond	0.474
			Total	0.474

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका

उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (जामुन, आम, इमली, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 17,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुदुम के सहमति उपरांत ग्राम पित्तेफूलचूर के अंतर्गत तालाब पर वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत

सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को

पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री साई मिनरल – ईस्ट साईड (टेम्प्ररी परमिट)
(पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को खसरा क्रमांक–2/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–सुरूवाआमा, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता – 1,04,000 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता – 1,04,000 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उल्लंघन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता – 1,04,000 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाता है तो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

11. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

12. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

13. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

19. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at, Village- Sillipakhna	
			Pavitra Van Nirman	9.73
			Total	9.73

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खारढोढ़ी (आश्रित ग्राम सिलीपखना) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 43/1/क क्षेत्रफल 20.7 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 470 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 670 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जॉच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

35. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

36. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रमाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

38. लीज क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष है, जिसे बहुत आवश्यक होने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

40. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

41. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

42. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

43. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

46. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

49. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

50. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

51. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

52. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

53. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री साँई मिनरल – वेस्ट साईड (टेम्परारी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को खसरा क्रमांक–2/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम–तुरूवाआमा, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता – 78,000 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति, **खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध** है। प्रस्तावित उत्खनन लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर एवं उत्खनन क्षमता 2 वर्षों में कुल क्षमता – 78,000 टन से अधिक उत्खनन किया जाना, पाये जाने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त उल्लंघन हेतु तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन न करने पर परियोजना प्रस्तावक को काली सूची में भी डाला जा सकेगा।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हैक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 2 वर्षों में कुल क्षमता – 78,000 टन से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
5. यदि खदान से जनित ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाता है तो, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
8. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
9. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की

जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

10. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

11. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

12. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

13. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी मे वृक्षारोपण किया जाए।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

19. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at, Village- Silipakhna	
			Pavitra Van Nirman	9.73
			Total	9.73

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 56,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खारढोढ़ी के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम सिलीपखना के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 43/1/क क्षेत्रफल 20.7 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 470 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 670 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

35. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

36. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रमाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

37. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि समीप स्थित वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव–जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

38. लीज क्षेत्र में कुछ जीवित वृक्ष है, जिसे बहुत आवश्यक होने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

40. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

41. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

42. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

43. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

46. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

48. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

49. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

50. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

51. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

52. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

53. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.